उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-20/2022/334प्र0स0/92-2-2022-04टीएसी/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 04 अगस्त 2022

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना एवं सांसद/विधायक निधि योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी अनियमितताओं के निमित्त निदेशालय के पत्रांक-जी-251 दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्री संजय श्रीवास्तव, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-सुलतानपुर के पत्रांक-1028 दिनांक 21.10.2019 के माध्यम से श्री श्रीवास्तव, अवर अभियंता द्वारा प्रतिउत्तर/कथन दिनांक 07.10.2019 उपलब्ध कराया गया।

2- श्री श्रीवास्तव, अवर अभियंता को डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम मकसूदन विकास खण्ड-लम्भुआ में राम सागर मिश्र के घर से दया शंकर मिश्र के घर तक निर्मित गली में चैनेज 100 मी0 पर खोदकर चेक करने पर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 की वर्कमैनशिप अत्यधिक खराब तथा लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य शक्ति में कुछ स्थानों पर कमजोर पाये जाने, ईट की चिनाई के ऊपर 2.50 सेमी0 मोटाई में किया गया पी0सी0सी0 1:2:4 का कार्य तथा प्लास्टर 1:4 का कार्य कुछ स्थानों पर शक्ति में कमजोर पाये जाने, ईट की चिनाई में कुछ ईटे अवर कोटि की पाये जाने, निरीक्षण के समय कार्य पर साइनबोर्ड लगा नहीं पाये जाने के साथ ही उक्त अनियमितताओं के निमित्त पायी गयी कुल शासकीय क्षति रू0 9,512.00 के अंश भाग रू0 2,378.00 एवं धोपाप घाट लम्भुआ गोमती नदी के किनारे आर0सी0सी0 घाट एवं महिलाओं के कपडा बदलने हेतु 5X4 मी0 एक कक्ष निर्माण कार्य में ईटों की चिनाई का कार्य तथा चिनाई में कुछ ईटे अवर कोटि की पाये जाने, 20 एमएम चकर्ड टाइल्स कुछ स्थानों पर शक्ति में कमजोर पाये जाने के साथ ही उक्त अनियमितताओं के निमित्त पायी गयी संभावित शासकीय क्षति रू0 4,265.00 के लिये उत्तरदायी पाया गया।

3- उक्त आरोपों के स्पष्टीकरण में अपचारी अवर अभियंता द्वारा कहा गया है कि टीएसी द्वारा की गयी जॉच में माप एवं मोटाई मानक के अनुरूप पायी गयी है। कार्य में प्रयुक्त मसाले में प्रयोग किये गये अवयवों की जानकारी प्रयोग करने हेतु 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट का सैम्पल तथा 1:6:12 लीन कंक्रीट का सैम्पल आई0ई0टी0 लखनऊ को जॉच हेतु प्रेषित किया गया था। प्राप्त परीक्षण की रिपोर्ट में सीमेंट कंक्रीट में मानक 1:2:4 सीमेन्ट एवं एग्रीगेट के सापेक्ष इंजीनियरिंग कालेज के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1:2.02:4:12 का अनुपालन पाया गया एवं लीन कंक्रीट में मानक 1:6:12 सीमेन्ट एवं एग्रीकेट के सापेक्ष इंजीनियरिंग कालेज के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1:6.15:12.40 का अनुपालन पाया गया। इस प्रकार सीमेन्ट कंक्रीट एवं लीन कंक्रीट के कार्य मानक एवं परीक्षण के उपरान्त प्राप्त अवयवों के अनुपात में पाया गया अन्तर नगण्य है, जिससे स्पष्ट है कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री का अनुपात संतोषजनक है। कार्य कराते समय क्वालिटी इश्योरेन्स रजिस्टर जिसकी प्रमाणित छायाप्रति अधिशासी अभियंता द्वारा टीएसी को उपलब्ध करायी गयी थी, उसमें टीएसी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार परिणाम मानक के अनुरूप थे एवं टीएसी द्वारा कार्यस्थल से जांच के समय लिये गये सैम्पल को आई0ई0टी0 लखनऊ को सील बन्द कर जांच के लिये भेजा गया था। जांच में परीक्षण के उपरान्त प्राप्त परिणाम एवं निर्धारित मानक का अन्तर नगण्य पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री का अनुपात संतोषजनक एवं छम्य है, क्योकि कार्यस्थल पर प्रयुक्त सामग्री मजदूरों द्वारा माप कर डाली जाती है और मानक तोल पर आधारित होता है। उक्त कार्य पर टीएसी द्वारा पायी गयी शासकीय क्षति रू0 9,512.00 आंकलित की गयी है, जो कार्य की कुल लागत का 0.35 प्रतिशत है, जोकि सहिष्णुता सीमा 02 प्रतिशत के अन्दर है। साथ ही टी0ए0सी0 द्वारा कार्य पर हुयी शासकीय क्षति ठेकेदार की जमानत धनराशि से कटौती की जा चुकी है, जो एम0बी0 नम्बर 799 (एल) पेज नं0-10 पर उल्लिखित है।

4- उक्त के अतिरिक्त आरोप के बिन्दु-2 के संबंध में अवगत कराया गया है कि कार्य में प्रयुक्त चेकर्ड टाइल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ दृष्टि परीक्षण में कम नजर आयी। कार्य में प्रयुक्त टाइल्स का सैम्पल आई0ई0टी लखनऊ को जांच हेतु प्रेषित किया गया था। प्राप्त परीक्षण की रिपोर्ट में टाइल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 305.00 Kg/cm2 के स्थान पर 305.20 Kg/cm2 पायी गयी अर्थात मानक के अनुरूप पायी गयी। उक्त कार्य पर टीएसी द्वारा पायी गयी शासकीय क्षति रू0 8,148.00 आंकलित की गयी है, जो कार्य की कुल लागत का 0.36 प्रतिशत है, जोकि सहिष्णुता सीमा 02 प्रतिशत के अन्दर है। साथ ही टी0ए0सी0 द्वारा कार्य पर हुयी शासकीय क्षति ठेकेदार की जमानत धनराशि से कटौती की जा चुकी है। यद्यपि शासकीय क्षति की वसूली संबंधित ठेकेदार के अन्तिम बीजक से की जा चुकी है, जिससे शासकीय क्षति की स्थिति नहीं पायी गयी, किन्तु अवर अभियंता द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही के कारण टीएसी जॉच के समय उक्त स्थिति उत्पन्न हुयी, जिसके लिये अपचारी अवर अभियंता उत्तरदायी पाया गया। अत: श्री संजय श्रीवास्तव, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को उक्तानुसार दोषी पाये जाने के निमित्त निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1665/अव0अभि0/टीएसी-जॉच-सुलतानपुर/पत्रा0सं0-417/2019-20 दिनांक 26.12.2019 द्वारा **विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि** देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया।

5- उक्त दण्डादेश के विरूद्ध निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 04.07.2022 के माध्यम से प्राप्त श्री संजय श्रीवास्तव, अवर अभियंता के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2021 में उल्लिखित कथनों का उच्च स्तर पर संज्ञान लेते हुए यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में शासकीय क्षति की वसूली संबंधित ठेकेदार से उसके अन्तिम बीजक से की जा चुकी है। श्री संजय श्रीवास्तव, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को उनके द्वारा निर्माण कार्यो एवं गुणवत्ता पर शिथिल नियंत्रण के लिये '**सचेत**' करते हुए एतदद्वारा उनके अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 18.11.2021 को निस्तारित किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी की ओर से

राजेन्द्र सिंह मौर्य
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 20/2022/334प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-सुलतानपुर।

3- श्री संजय श्रीवास्तव, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।